भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †657

उत्तर देने की तारीख- 25/07/2024

जनजातीय लोगों के साथ जातीय भेदभाव

†657. श्रीमती मालविका देवी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जनजातीय लोगों के साथ जातिगत भेदभाव से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी दो एजेंसियों अर्थात् भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से देश भर में जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने में संलग्न है।

'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन' (पीएमजेवीएम) योजना के तहत, ट्राइफेड लघु वन उपज (एमएफपी) की खरीद और एमएफपी तथा गैर-एमएफपी की मूल्य संवर्धन गतिविधियों के लिए वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की स्थापना हेतु राज्य सरकारों को परिक्रामी निधियां प्रदान करता है। ट्राइफेड अपने पैनल में शामिल जनजातीय कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं को विभिन्न श्रेणियों जैसे धातु शिल्प, कपड़ा, आभूषण, पेंटिंग, बेंत और बांस, टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन, जैविक और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों आदि के तहत अपने उत्पादों के विपणन के लिए ऑनलाइन और ऑफ़लाइन प्लेटफ़ॉर्मों के माध्यम से बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज भी प्रदान करता है। अब तक, 319.65 करोड़ रुपये की राशि परिक्रामी निधि (रिवॉल्विंग फंड) के रूप में जारी की जा चुकी है और देश भर में 3958 वीडीवीके की स्थापना के लिए 587.36 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इसी प्रकार, एनएसटीएफडीसी पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आजीविका और आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है। ऋण सहायता सावधि ऋण योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई), स्वयं सहायता समूहों के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना (एमसीएफ) और आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई) जैसी योजनाओं के तहत दी जाती है। इन योजनाओं के संचालन के बाद से, 15,19,608 लाभार्थियों को 3671.48 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

(ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'सार्वजनिक (लोक) व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों के खिलाफ अपराध की जांच और अभियोजन सहित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें मौजूदा कानूनों के प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। हालांकि, भारत सरकार समय-समय पर नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुसूचित जनजातियों के समुदाय के खिलाफ अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह (परामर्शियां) जारी करती रही है। ऐसी सलाह (परामर्शियां) www.mha.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ग): मंत्रालय वर्ष 2018-19 से दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय बच्चों (कक्षा VI से XII तक) को उनके अपने परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की एक विशेष केंद्रीय क्षेत्र योजना को लागू (क्रियान्वित) कर रहा है, ताकि उन्हें शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों तक पहुँचने और उन्हें सामान्य आबादी के बराबर लाने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के तहत, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित किया जाता है। आज की तारीख तक, देश भर में कुल 708 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 405 स्कूलों के कार्यात्मक होने की सूचना है।

*****